प्रेस नोट दिनांक 27.02.2025
थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

थाना बिथरी चैनपुर, बरेली बरेली क्षेत्र में पीएसी के आरक्षी की पत्नी की हत्या की घटना सफल अनावरण, हत्या में शामिल पति सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, मृतका आभूषण एवं हत्या में प्रयुक्त सिरिंज व इजेक्शन आदि बरामद।

संक्षिप्त विवरणः- थाना बिथरी चैनपुर, बरेली पर वादी श्री जगदीश पुत्र रामचरन निवासी बकनौरी थाना शहजाद नगर जनपद रामपुर के द्वारा अपनी बेटी मीनू उर्फ मीना की हत्या उनके दामाद 8वी वाहिनी पीएसी, बरेली में नियुक्त आरक्षी रवि कुमार द्वारा किये जाने सम्बन्धी लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 24.02.2025 को मु0अ0सं0- 101/2025 धारा 123/103(1)/3(5) बीएनएस बनाम रवि कुमार उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण की सत्यता की जाँच व सही अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर, बरेली व अन्य टीम को नियुक्त किया गया था। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 27.02.2025 को बिथरी चैनपुर पुल के नीचे से 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उनके कब्जे से मृतका के शव से अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना दिखाने हेतु उतारी गयी कान की 02 बाली, कान के 02 कुण्डल, 01 मंगलसूत्र, घटना में प्रयुक्त किये हुए खाली 07 इंजेक्शन, शेष बची 05 सिरिंज व 05 पैकेट जहरीले इन्जेक्शन, 02 सिरिंज जिनका इन्जेक्शन लगाने में इस्तेमाल किया व एक मोटरसाइकिल UP 25 AR 1239 को बरामद किया गया।

घटनाक्रम - श्री जगदीश पुत्र रामचरन निवासी बकनौरी थाना शहजाद नगर जनपद रामपुर के द्वारा अपनी बेटी मीनू उर्फ मीना की शादी वर्ष 2015 में रवि कुमार पुत्र गनेशी निवासी सियारी थाना मिलक जनपद रामपुर के साथ की गयी थी। वर्ष 2018 में जगदीश का दामाद रवि कुमार उपरोक्त पीएसी में बतौर सिपाही भर्ती होकर 08वी वाहिनी पीएसी, बरेली में तैनात रहा और सरकारी आवास नम्बर H-03/54 में अपनी पत्नी व एक बेटी के साथ रहता था। शादी से रवि को 03 पुत्रियां हैं, क्योंकि रवि अपनी पत्नी पर भूत-प्रेत के साये को लेकर तांत्रिको से ईलाज कराता रहता था और काफी परेशान था। इसी दौरान रवि का प्रेम सम्बन्ध एक महिला से हो गया। अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने तथा प्रेमिका से विवाह करने की सोच की प्लानिंग के तहत अपनी तैनाती के दौरान अपनी गाड़ी की सर्विस व डेंटिंग पैन्टिंग आदि का कार्य ठिरिया मोहनपुर में कराने के दौरान डेंटर शानू जो ठिरिया में कार्य करता था, जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा पूर्व में जेल भी जा चुका है के सम्पर्क में आकर अपनी पत्नी की समस्या बताते हुए अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या हेतु 03 लाख रूपये की सुपारी देने के बात की। शानू उपरोक्त ने अपने जानने वाले मित्र जतिन जो कि प्राईवेट वैन्टिलेटर एम्बुलेंस में नर्सिंग असिसटेंट का कार्य देखता है, से बात की तथा अपने प्लान में सम्मिलित किया, जिस पर जतिन ने शानू से कहा कि गोली मारने तथा अन्य तरीके से हत्या करने में फंसने का चांस ज्यादा रहता है। मैं मेडिकल लाइन का कार्य जानता हूँ, मैं ऐसे इंजेक्शन जानता हूँ, जिसे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाये तो कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है, और मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि भी नही होती है। प्लॉनिंग के तहत शनिवार दिनांक 22.02.2025 को समय दोपहर 12.00 बजे रवि कुमार अपनी पत्नी मीनू को अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठाकर प्लाट दिखाने के बहाने फरीदापुर लेकर गया। जहाँ पर उक्त दोनों पहले से प्लाट बेचने वाले बनकर मौजूद थें। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठाकर प्लाट दिखाने के बहाने गाड़ी में ही शानू के द्वारा मीनू के दोनों हाथ पकड़कर अगली दोनों सीटों के बीच में खींचकर जकड़कर जतिन द्वारा करीब 07 डोज अलग- अलग जिनकी कुल मिलाकर मात्रा कुल 65 ML के जहरीले इंजेक्शन गर्दन व गर्दन के आसपास लगाये गये, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और शानू ने उसके मरते ही उसी समय मृतका के शरीर से बरामद जेवरात उतार लिये ताकि लूट की घटना बनाई जा सके और गाड़ी से उतरकर शानू व जतिन पूर्व से लायी गयी अपनी मोटर साइकिल पैशन प्रो UP 25 AR 1239 से निकल गये, और रवि

अपनी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर गाड़ी को रोड के किनारे लगाकर पास ही लिपटिस की बगिया में लेटकर अपने साथ मारपीट कर लूट करने की घटना की सूचना अपने दोस्त संजय सैनी को फोन करके बतायी, ताकि पुलिस लूट समझकर भ्रमित हो जाये और वह आसानी से बच जाये। अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.रवि कुमार पुत्र गनेशी निवासी सियारी थाना मिलक जनपद रामपुर
2. शानू पुत्र शकील हुसैन निवासी ग्राम सैदपुर खजुरिया थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली। (प्रकाश में आया)
3.जतिन पुत्र जितेन्द्र पाल सिंह निवासी माधौवाड़ी थाना प्रेमनगर जनपद बरेली। (प्रकाश में आया)

बरामदगी-

1. कान की 02 बालियां
2. कान के 02 कुण्डल
3. एक मंगलसूत्र सोने का
4. पाँच जहरीले इन्जेक्शन
5. पाँच पैकेट सिरिंज
6. सात जहरीले इन्जेक्शन की खाली शीशी घटना में प्रयुक्त
7. दो सिरिंज जिनका इन्जेक्शन लगाने में इस्तेमाल किया गया
8. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो न0- UP 25 AR 1239
9. स्विफ्ट डिजायर कार न०- DL 8CW 5270

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0-101/25 धारा 123/103(1)/3(5) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

अभियुक्त शानू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-366/18 धारा 147/148/149/307/353/332/323/504/506/336/153ए/505(3)/427 भादवि व 07 सीएल एक्ट थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
2.मु0अ0सं0-101/25 धारा 123/103(1)/3(5) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

अभियुक्त जतिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-101/25 धारा 123/103(1)/3(5) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

पुलिस टीम का विवरण-

1. अभिषेक कुमार थाना प्रभारी बिथरी चैनपुर, बरेली ।
2.निरीक्षक अपराध वेद सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली ।
3.उ0नि0 शशांक सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली ।
4.उ0नि0 रणधीर सिंह थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।
5. हे0का0 इस्लाक अहमद थाना बिथरी चैनपुर, बरेली ।
6.हे0का0 तौसीम हैदर अली थाना बिथरी चैनपुर, बरेली ।
7.का0 विजिल मलिक थाना बिथरी चैनपुर, बरेली।